A052-20222023-001-348 min

संख्या-06/2023/348/52-3-2023- 52-3099/1288/2020

प्रेषक,

गुलाब,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2023**

विषय- मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-**5202**/अ0स0क0नि0/कोचिग-1190/2023, दिनांक 20-02-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2022-23 शासन के पत्र दिनांक 20-09-2022 द्वारा मेडिकल इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधानित धनराशि रू0 15.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 07.50 लाख आवंटित की गयी है। उक्त निर्गत धनराशि निदेशालय के पत्र सं0-2949/अ0स0क0नि0-153-लेखा/मद0आधु0/2022-23, दिनांक 30-09-2022 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ को आवंटित कर दी गयी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 14-02-2023 द्वारा आवंटित धनराशि रू0 7,50,000/- का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तवित्तय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/ दस - 2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के प्रस्तर-2(7) में निहित प्रावधानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मेडिकल इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 15.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त (अवशेष धनराशि) के रूप में रू0 07.50 लाख (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत

कर व्यय करने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. कोषागार से धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक / डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि भवनों के रख रखाव इत्यादि के लिये उन्हीं मदरसों को अनुदान दिया जायेगा, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों का ही हो अथवा उनको संचालित करने वाली संस्था का हो।
3. यह वित्तीय स्वीकृतियॉ जिलों को तत्काल आवंटित कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय।
4. उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा ।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक **31.03.2023** तक उपलब्ध कराया जायेगा।
6. वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग, नियमानुसार उसी कार्य / मद हेतु किया जायेगा।
7. यह सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0305-मेडिकल इंजीनियरिंग के व्यावसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग व्यवस्था हेतु अनुदान संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- **E-492-4-X-2022-23**, दिनांक: **06-03-2023** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 348 (1)/बावन-3-2023-तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (ई-4) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में) / नियोजन अनु-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।

6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(गुलाब)
संयुक्त सचिव।